

कार्यालय ज्ञाप

अभिन्न भारतीय जनजाती शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सं. 2021-22 हेतु द्वितीय समीक्षा जनजाती शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/09/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कायम हुई। बैठक में सविधि द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से सार्वजनिक संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग, पठनक्रम, प्रवेश कक्षा पुष्टि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने हेतु सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में दिए गए निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पठनक्रम एवं उपरोक्त अभिन्न प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है -

संस्था का सही नाम - 2061-HAKIKULLAH CHAUDHARY COLLEGE OF PHARMACY GNARIGHAT,GONDA-271312			
क्र.सं.	पठनक्रम का नाम	एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी. पी.सी.टी.ई.टी.सी. द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश प्रदान	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश प्रदान
1	DIPLOMA IN PHARMACY	00	00

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी. पी.सी.टी.ई.टी.सी. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संशोधन विनियमवली 2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करके प्रेषित पत्राचारों हेतु सं. 2019/00/06- प्रवि.सं. उत्तर प्रदेश कार्यालय पत्राचार सं. 20-45300/06- प्रवि.सं. एवं एक लाख की वार्षिक पत्राचारों (दो लाख कार्यालय पत्राचारों के अधिकांश) हेतु सं. 2020/00/06- प्रवि.सं. शुल्क तैयार करके तैयार करके प्रेषित किया जाएगा। उपरोक्त के अधिकांश पत्राचारों से शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्ध-सम्बन्ध पर सावधानीपूर्वक विचार किये जाने वाले सम्बन्धों को प्रेषित करने, और अनुमोदन कार्यालयी किये जाने आवश्यक होगा। सविधि निर्धारित शर्तों द्वारा सं. 2021-22 हेतु परीक्षा का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, जो परीक्षा को नवीनतम पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 12000 प्राथमिक शिक्षा समितीय तथा उच्च समितीय, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाएगा। विनियमवली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिए जायेगा। शीर्ष के शिक्षा सह जाने की शर्तों में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सहाय-प्रदान एवं निहित सम्बन्धों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी. पी.सी.टी.ई.टी.सी. में शामिल कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाने वाले विनियमवली-अधिनियमों-संशोधन-विनियमों एवं विनियम, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाने वाले विनियम, विनियमों, आदेशों, दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ द्वितीयक एवं तृतीयक पत्राचारों की संख्या यदि गी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तराधिकार संस्था का होगा और शिक्षण रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी कार्य प्राप्त किया जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में या, सावधानीपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था को पूर्णतः संबंधित संस्था को बनाने होगी।
- ✓ द्वितीयक एवं तृतीयक पत्राचारों से संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश करने के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा-निर्धारण प्राप्त होने के पूर्व एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी. पी.सी.टी.ई.टी.सी. द्वारा सं. परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा-अन्य उच्च प्रवेश की (कार्यालय) के सम्बन्ध में सहाय संस्था सं. 2 पर सविधि प्रेषित अनुमोदित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनतम आदेश विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं के अलावा की वैकल्पिक पुष्टि भूमि, साफ, साफ-सफा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, सावधानीपूर्वक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टि हेतु उपरोक्त सावधानी उपलब्ध करने के साथ वैकल्पिक संस्था के सम्बन्ध में सहाय आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करेगी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित सार्वजनिक पत्राचारों को बनाने वाले हेतु विनियम समिति के समक्ष उपलब्ध बनाने वाले अधिकांश भूमि-भूदान, कार्यालय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पत्राचारों के अन्तर्गत में प्रेषित किया जाता है और परीक्षा की प्रकृति नज्दगी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रदान किसी अन्य करने के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को सम्बद्धता संस्था किये जाने को अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्बन्ध एच.आई.सी.टी.ई.टी.सी. पी.सी.टी.ई.टी.सी. परिषद के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं प्राप्त होता है तो संस्था को सम्बद्धता संस्था कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने को शिष्टी में विनियमन-अनुपालन-सम्बन्ध कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

राज्य

प्रतिश्लि

उप-निदेशक, HAKIKULLAH CHAUDHARY COLLEGE OF PHARMACY GNARIGHAT,GONDA-271312

(सुनील कुमार सोनकर)

राज्य